

बिहार सरकार
उद्योग विभाग

पत्रांक—...../पटना,

दिनांक—.....

सं0सं0— 4तक0/सिंगल विन्डो/12/2018

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना।

द्वारा:— आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

विषय:— वित्तीय वर्ष 2018-19 योजनान्तर्गत सिंगल विन्डो क्लियरेंस सिस्टम के सॉफ्टवेयर डेवलॉपमेंट हेतु ₹ 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक राज्यादेश संख्या-350, दिनांक 17.03.2017 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 योजनान्तर्गत सिंगल विन्डो क्लियरेंस सिस्टम के सॉफ्टवेयर डेवलॉपमेंट हेतु ₹ 100.00 लाख (एक करोड़ रुपये) मात्र व्यय की स्वीकृति प्रदान करने की कृपा की है।

2. इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमियों को सुविधा प्रदान करने हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन अधिनियम, 2016 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्ताव पर सिंगल विन्डो क्लियरेंस सिस्टम के तहत विभिन्न प्रकार के क्लियरेंस ऑन लाईन प्रदान करना है। निवेश प्रस्ताव पर ऑन लाईन क्लियरेंस चार चरणों में उपलब्ध कराया जायेगा। समेकित क्लियरेंस प्रणाली को विकसित करने के लिये एक सॉफ्टवेयर डेवलॉप किया जा रहा है तथा इसके रख-रखाव के लिये एक एजेंसी को नियुक्त की गई है। इस सॉफ्टवेयर के डेवलॉपमेंट एवं रख-रखाव हेतु नियुक्त एजेंसी को भुगतान हेतु इस राशि का व्यय किया जायेगा।

3. इस राशि की निकासी मुख्य शीर्ष-2852-उद्योग, उप मुख्य शीर्ष-80-सामान्य, लघु शीर्ष-102-औद्योगिक उत्पादकता, उप शीर्ष-0163-व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग के अग्रसरण हेतु अन्य आधारभूत संरचनाओं का सृजन विकास एवं रखरखाव-बिहार व्यापार विकास कोष, विपत्र कोड-23-2852801020163, विषय शीर्ष-0163.52.02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य मद में उपबंधित राशि से की जायेगी जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में यथेष्ट बजट उपबंध प्राप्त है।

4. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सहायक निदेशक (तक0), तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना होंगे, जो सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से राशि की अग्रिम निकासी कर बैंक ड्राफ्ट/RTGS के द्वारा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना को उपलब्ध करायेंगे। वित्त विभागीय पत्रांक-8284 दिनांक 02.08.10 एवं 500 दिनांक 18.01.11 में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5. इस योजना के मुख्य नियंत्री पदाधिकारी निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना होंगे, जो इसका अनुश्रवण करेंगे। योजना के व्यय से संबंधित व्यय विवरणी/उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में प्राप्त कर समुचित जाँचोपरान्त प्रतिहस्ताक्षरित कर महालेखाकार (ले0 एवं हक0), बिहार, पटना को प्रेषित करते हुए उसकी प्रति विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

अनुपम ए.ए.ए.
रूप री
परामर्श

6. इस राशि की निकासी एवं उसका समायोजन वित्त विभागीय पत्रांक-4263 दिनांक 20.05.2014 के अनुरूप की जायेगी।

7. राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 8003 वि (2), दिनांक 18.09.2008 में निहित पत्रांक-2561 वि (2) दिनांक 17.04.1998 के कंडिका-2, पत्रांक-2938 वि (2) दिनांक 08.04.2008 के आलोक में किया जायेगा तथा इन प्रपत्रों में निहित अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

8. वित्त विभागीय पत्रांक 7355/वि(2), दिनांक 05.10.2007 के आलोक में प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

ह0/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

सं0सं0- 4तक0/सिंगल विन्डो/12/2018

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

सं0सं0- 4तक0/सिंगल विन्डो/12/2018

प्रतिलिपि:- सहायक निदेशक (तक0)-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, तकनीकी विकास निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को (दो प्रतियों में) सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-...../पटना, दिनांक-.....

सं0सं0- 4तक0/सिंगल विन्डो/12/2018

प्रतिलिपि:- मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, उद्योग मित्र, इंदिरा भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-


प्रधान सचिव,

उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक-1460/पटना, दिनांक-30.08.18

सं0सं0- 4तक0/सिंगल विन्डो/12/2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षक), बिहार, पटना/ वित्त विभाग, बिहार, पटना/उद्योग निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम, बिहार, पटना/निदेशक, तकनीकी विकास, बिहार, पटना/निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, बिहार, पटना/आय-व्ययक पदाधिकारी, उद्योग निदेशालय, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, उद्योग विभाग, बिहार, पटना/प्रशाखा-1 (सरकार) योजना, उद्योग विभाग/योजना शाखा, उद्योग विभाग को 05 अतिरिक्त प्रतियों में आई0टी0 प्रबंधक, उद्योग विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-5, उद्योग निदेशालय, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


प्रधान सचिव,
उद्योग विभाग, बिहार, पटना।

(11)